(5) (i) सभी खान मालिकों को खान में खाली स्थानों में राख को समायोजित करने के लिए खान बंद योजना (प्रगामी और अंतिम) तैयार करनी होगी और खान में खाली स्थान में राख के निपटान और अधिभार वाले ढेर के साथ राख को मिश्रित करने के लिए खान योजनाओं को संबंधित प्राधिकारी अनुमोदित करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों और कोयला खदानों की पर्यावरणीय मंजूरी की अपेक्षा से छूट देने के साथ-साथ ऐसे निपटान के लिए अपनाए जाने वाले दिशानिर्देशों के संबंध में तारीख 28 अगस्त, 2019 को दिशानिर्देश जारी किए गए।

(ii) मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महानिदेशक, खान सुरक्षा (डीजीएमएस) और भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के साथ परामर्श करके, खानों में खाली स्थानों में राख के निपटान करने तथा अधिभार वाले ढेरो में इसे मिश्रित करना सुगम बनाने के लिए समय-समय पर आगे भी दिशानिर्देश जारी कर सकता है और यह खान मालिकों की जिम्मेदारी होगी कि वे ऐसी खानों को अभिज्ञात करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी की गई अनुमतियों में आवश्यक संशोधन या परिवर्तन प्राप्त करेंगे।

(6) (i) पर्यावरणीय प्रदूषण के संदर्भ में सुरक्षा, व्यवहार्यता (आर्थिक व्यवहार्यता नहीं) और पहलुओं की जांच सहित राख से खान में खाली स्थान को वापस भरने/अधिभार वाले ढेर के साथ राख को मिश्रित करने के लिए खानों की पहचान करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, महानिदेशक खान सुरक्षा और भारतीय खान ब्यूरो से प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा और यह समिति पणधारी मंत्रालयों या विभागों के लिए अभिज्ञात खानों (भूमिगत और खुली, दोनों) के संबंध में तैयार की गई तिमाही रिपोर्टों को अद्यतन करेगी और यह समिति, इस अधिसूचना के प्रकाशन के तुरंत पश्चात उपयुक्त खानों की पहचान करना आरंभ करेगी।

(ii) ताप विद्युत संयंत्र या खानें, उपरोक्त अनुसार अधिदेशित उपयोग लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपर्युक्त समिति द्वारा पहचान किए जाने तक राख के निपटान हेतु प्रतीक्षा नहीं करेंगी।

(7) राख से निचले क्षेत्र को भरने का कार्य, अनुमोदित परियोजनाओं के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व अनुमति से और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा अनुमोदित स्थलों, अवस्थान, क्षेत्र और अनुमत मात्रा को अपनी वेबसाइट पर प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाएगा।

(8) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संगत पणधारी के साथ मिलकर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा अनुमति प्रदान करने के लिए समयबद्ध ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रस्तुत करने के साथ-साथ इस अधिसूचना के अधीन परिकल्पित सभी प्रकार के कार्यकलापों के लिए एक वर्ष के भीतर दिशानिर्देश प्रस्तुत करेगा।

(9) कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र से तीन सौ किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी भवन निर्माण परियोजनाएं (केंद्रीय, राज्य और स्थानीय प्राथिकरणों सरकारी उपक्रमों, अन्य सरकारी अभिकरणों तथा सभी निजी अभिकरणों) राख की ईटों, टाईल्स, धातुमल राख अथवा अन्य राख आधारित उत्पादों का उपयोग करेंगी बशर्ते कि वे वैकल्पिक उत्पादों की कीमत से अधिक कीमत पर उपलब्ध न हो।

(10) राख आधारित उत्पादों के विनिर्माण और ऐसे उत्पादों में राख के उपयोग में भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय सड़क कांग्रेस और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित विनिर्देशों और दिशानिर्देशों की अनुपालना होगी।

ग. गैर-अनुपालन के लिए पर्यावरणीय प्रतिकर .-

(1) तीन वर्ष के चक्र के प्रथम दो वर्षों में, यदि कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र (कैप्टिव और/ या सह-उत्पादक स्टेशनों या दोनों सहित) ने कम-से-कम 80 प्रतिशत राख (फ्लाई-राख और बॉटम-राख) उपयोग नहीं की है तो ऐसे गैर-अनुपालन ताप विद्युत संयंत्रों पर प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर वित्तीय वर्ष के

अंत में अप्रयुक्त राख पर 1000 रुपए प्रति टन की दर से पर्यावरणीय प्रतिकर लगाया जाएगा और यदि यह तीन वर्ष के चक्र के तीसरे वर्ष में 100 प्रतिशत राख का उपयोग करने में असमर्थ रहता है, तो वह अप्रयुक्त मात्रा पर 1000 रुपए प्रति टन की दर से पर्यावरणीय प्रतिकर के भुगतान का पात्र होगा, जिस पर पहले पर्यावरणीय प्रतिकर नहीं लगायी गयी है।

परंतु पर्यावरणीय प्रतिकर को पैरा क के उप-पैरा (4) में उल्लिखित विभिन्न उपयोगी श्रेणियों के अनुसार प्रथम अनुपालन चक्र के अंतिम वर्ष के अंत में अनुमान लगाया जाएगा और अधिरोपित किया जाएगा।

(2) अधिकारियों द्वारा एकत्रित पर्यावरणीय प्रतिकर को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्दिष्ट खाते में जमा किया जाएगा।

(3) लैगेसी राख के मामले में, यदि कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र (कैप्टिव या सह-उत्पादक स्टेशनों या दोनों सहित) ने स्थापित क्षमता पर आधारित उत्पन्न राख का कम-से-कम 20 प्रतिशत (प्रथम वर्ष के लिए), 35 प्रतिशत (द्वितीय वर्ष के लिए), 50 प्रतिशत (तीसरे से दसवें वर्ष तक) उपयोग के बराबर लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है तो उस वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रयुक्त लैगेसी राख पर 1000 रुपए प्रति टन की दर से पर्यावरणीय प्रतिकर लगाया जाएगा और यदि 10 वर्ष के अंत में लैगेसी राख का उपयोग नहीं किया जाता है तो 1000 रुपए प्रति टन की दर से शेष अप्रयुक्त मात्रा पर पर्यावरणीय प्रतिकर लगाया जाएगा जिस पर पहले पर्यावरणीय प्रतिकर नहीं लगाया गया है।

(4) अधिकृत खरीददारों या उपभोक्ता अभिकरणों तक राख भेजने की जिम्मेदारी परिवाहकों या वाहन मालिक की जिम्मेदारी है और यदि इसका अनुपालन नहीं किया जाता है, तो अनधिकृत उपयोगकर्ताओं अथवा गैर-अधिकृत उपयोगर्ताओं को ऐसी मात्रा गलत तरीके से वितरित करने पर 1500 रूपए प्रति टन की दर से पर्यावरणीय प्रतिकर लगायी, इसके अतिरिक्त राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा गैर अनुपालनकर्ता परिवाहकों पर अभियोजन लागू होगा।

(5) इस अधिसूचना के पैरा ख में विहित पर्यावरण अनुकूल तरीके में राख के उपयोग की जिम्मेदारी खरीददार या उपभोगकर्ता एजेंसियों की है और ऐसा नहीं करने पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा 1500 रूपए प्रति टन की दर से पर्यावरणीय प्रतिकर लगाया जाएगा।

(6) यदि उपयोगकर्ता अधिकरण पैरा ख के अधीन निर्धारित सीमा तक अथवा पैरा घ के उप-पैरा (1) के अधीन, दिए गए नोटिस के माध्यम से सूचित की गई सीमा, इनमें से जो भी कम हो, तक राख का उपयोग नहीं करती है, वे अतिरिक्त राख की मात्रा का 1500 रूपए प्रति टन की दर से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगी।

परंतु भवन निर्माण के संबंध में पर्यावरणीय प्रतिकर निर्मित क्षेत्र के 75 रूपये प्रति वर्ग फीट की दर से वसूल किया जाएगा।

(7) (i) ताप विद्युत संयंत्रों अन्य बकायादारों से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगायी गई का पर्यावरणीय प्रतिकर उपयोग अप्रयुक्त राख के सुरक्षित निपटान हेतु किया जाएगा और राख आधारित उत्पादों सहित राख के उपयोग के संबंध में और अधिक अनुसंधान करने के लिए भी निधि का उपयोग किया जा सकता है।

(ii) अप्रयुक्त मात्रा पर लगाए गए पर्यावरणीय प्रतिकर के पश्चात भी राख के उपयोग का उत्तरदायित्व ताप विद्युत संयंत्रों की होगी और यदि पश्चातवती चक्रों में पर्यावरणीय प्रतिकर लगाने के पश्चात ताप विद्युत संयंत्र, किसी विशेष चक्र की राख के उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करता है तो अगले चक्र के दौरान अप्रयुक्त मात्रा पर एकत्र की गई पर्यावरणीय प्रतिकर में 10 प्रतिशत कटौती के पश्चात उक्त रकम ताप विद्युत संयंत्र को वापस कर दी जाएगी और पश्चातवती चक्रों में राख के उपयोग के मामले में एकत्र की गई पर्यावरणीय प्रतिकर की 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और उसी क्रम में कटौती की जानी है।

घ. राख या राख आधारित उत्पादों की आपूर्ति हेतु प्रक्रिया ._

(1) ताप विद्युत संयंत्रों के स्वामी अथवा राख की ईटों या टाईल्स या धातुमल आधारित राख के विनिर्माता उन व्यक्तियों या अभिकरणों को लिखित सूचना देंगे जो बिक्री या परिवहन या दोनों के लिए प्रस्तुत राख या राख आधारित उत्पादों के उपयोग के लिए उत्तरदायी हैं।

(2) ऐसे व्यक्ति या उपयोगकर्ता अभिकरणों जिन्हें ताप विद्युत संयंत्रों के स्वामी द्वारा या राख की ईंटों या टाईल्स या धातुमल आधारित राख के उत्पादकों द्वारा सूचना दी गई है, यदि वे पहले ही राख या राख उत्पादों के उपयोग के प्रयोजन से अन्य अभिकरणों के साथ जुड़े हुए हैं, यदि वे किसी भी राख/राख उत्पादों का उपयोग नहीं कर सकते हैं अथवा कम मात्रा का उपयोग कर सकते हैं, तदनुसार ताप विद्युत संयंत्र को सूचित करेंगे।

ड. प्रवर्तन, निगरानी, लेखा परीक्षा और प्रतिवेदन करना

(1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी), उपबंधों के अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन और निगरानी प्राधिकरण होंगे। सीपीसीबी या एसपीसीबी या पीसीसी तिमाही आधार पर राख के उपयोग की निगरानी करेंगे और सीपीसीबी इस प्रयोजन के लिए अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से छ: माह के भीतर एक पोर्टल विकसित करेगा। संबंधित जिला अधिकारी के पास इस अधिसूचना के उपबंधों को लागू करने और निगरानी करने के लिए समवर्ती अधिकारिता होगी।

(2) (i) ताप विद्युत संयंत्र, राख उत्सर्जन और उपयोग से संबंधित मासिक सूचना वेब पोर्टल पर अगले महीने की 5 तारीख तक अपलोड करेगा। कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप ऊर्जा संयंत्रों द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंधित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों को इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन संबंधी सूचना उपलब्ध कराते हुए वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिए) अप्रैल माह के 30वें दिन तक प्रस्तुत की जाएगी। सीपीसीबी और सीईए द्वारा सभी ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों का समेकन किया जाएगा और उसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 31 मई तक प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) सभी अन्य उपयोगकर्ता अधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा जारी पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा जारी संचालन की सहमति (सीटीओ), जो भी लागू हो, की अनुपालना रिपोर्ट में इस अधिसूचना में आज्ञापकता के अनुसार राख के उपभोग या उपयोग या निस्तारण तथा राख आधारित उत्पादों के उपयोग संबंधी सूचना प्रस्तुत करेंगे। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) अधिसूचना के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा करने हेतु ताप विद्युत संयंत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकरणों की राख उपयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे।

(3) इस अधिसूचना के उपबंधों की निगरानी और कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जिसके सदस्य विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खनन मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारी उद्यम विभाग से होने के साथ-साथ समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले कोई संबंधित पणधारी होंगे। यह समिति संगत पणधारी को आमंत्रित कर सकती है। यह समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के प्रभावी और दक्ष कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें कर सकती है। यह समिति छ: माह में कम से कम एक बार एक बैठक करेगी और वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्टों की समीक्षा करेगी और यह समिति, इस अधिसूचना द्वारा आजापक किए गए अनुसार छ: महीनों में कम से कम एक बार संगत पणधारी (को) को आमंत्रित करके राख के उपयोग की निगरानी करने के लिए पणधारी से साथ परामर्शदात्री बैठकें आयोजित करेगी। यह समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) को छ: मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(4) ताप विद्युत संयंत्रों और राख के उपयोगकर्ताओं या राख आधारित उत्पादों के विनिर्माताओं के बीच के विवाद का समाधान करने के प्रयोजन से राज्य सरकारें या संघ राज्यक्षेत्र की सरकारें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेंगी जिसमें विद्युत विभाग के प्रतिनिधि और एक प्रतिनिधि उस विभाग का होगा, जो विवाद वाले संबंधित अभिकरण का कार्य देख रहे हैं।

(5) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्राधिकृत लेखा परीक्षकों द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों और उपयोगकर्ता अभिकरणों द्वारा किए गए राख के निपटान की अनुपालन लेखा परीक्षा संचालित की जाएगी और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को प्रस्तुत की जाएगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर अनुपालन न करने वाले ताप विद्युत संयंत्रों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ करेगें।

[फा. सं. एचएसएम-9/1/2019-एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

उपाबंध

31 मई तक अथवा उससे पहले प्रस्तुत की जाने वाली राख संबंधी उपबंधों की अनुपालन रिपोर्ट (01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के लिए)।

क्र.सं.	**ब्यौरा**	
1.	विद्युत संयंत्र का नाम	
2.	कंपनी का नाम	
3.	जिला	
4.	राज्य	
5.	पत्राचार के लिए डाक का पता :	
6.	ई-मेल :	
7.	विद्युत संयंत्र की संस्थापित क्षमता (मेगा वॉट) :	
8.	संयंत्र लोड फैक्टर (पीएलएफ) :	
9.	उत्पादित यूनिटों की संख्या (एमडब्ल्यूएच) :	
10.	विद्युत संयंत्र के अंतर्गत कुल क्षेत्र (हेक्टेयर) (राख कुंडों के अधीन क्षेत्र सहित) :	
11.	रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान कोयला खपत की मात्रा (प्रति वर्ष मीट्रिक टन) :	
12.	औसत राख सामग्री प्रतिशतता में (%) :	
13.	रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान वर्तमान में उत्पादित राख की मात्रा (प्रति वर्ष मीट्रिक टन) : फ्लाई राख (प्रति वर्ष मीट्रिक टन) : बॉटम राख (प्रति वर्ष मीट्रिक टन) :	
14.	ड्राई फ्लाई राख भंडारण गड्ढा (गड्ढों) की क्षमता (मीट्रिक टन) :	
15.	**रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान वर्तमान में उत्पादित राख के उपयोग का ब्यौरा:** (क) रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान वर्तमान में उपयोग की गई राख की	

	कुल मात्रा (एमटीपीए) : (ख) उपयोग की गई फ्लाई राख की मात्रा (एमटीपीए) : i. फ्लाई-एश आधारित उत्पाद (ईंट या ब्लॉक या टाइल्स या फाइबर सीमेंट शीट या पाइप या बोर्ड/पैनल) : ii. सीमेंट विनिर्माण : iii. रेडी मिक्स कंक्रीट : iv. राख और जीओ-पॉलिमर आधारित निर्माण सामग्री : v. सिंटर्ड या कोल्ड बॉन्डेड राख एग्रीगेट का निर्माण : vi. सड़कों, सड़क और फ्लाई ओवर के पुश्तों का निर्माण : vii. बांधों का निर्माण : viii. निम्न भू-क्षेत्र का भराव : ix. खनिज क्षेत्रों का भराव : x. अधिभार वाले डम्पों में उपयोग : xi. कृषि : xii. तटीय जिलों में तटरेखा सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण : xiii. अन्य देशों को राख का निर्यात : xiv. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) : (ग) उपयोग किए गए तल के राख की मात्रा (एमटीपीए) : i. फ्लाई-एश आधारित उत्पाद (ईंट या ब्लॉक या टाइल्स या फाइबर सीमेंट शीट या पाइप या बोर्ड या पैनल) : ii. सीमेंट विनिर्माण : iii. रेडी मिक्स कंक्रीट : iv. राख और जीओ-पॉलिमर आधारित निर्माण सामग्री : v. सिंटर्ड या कोल्ड बॉन्डेड राख एग्रीगेट का निर्माण : vi. सड़कों, सड़क और फ्लाईओवर के पुश्तों का निर्माण : vii. बांधों का निर्माण : viii. निम्न भू-क्षेत्र का भराव : ix. खनिज क्षेत्रों का भराव : x. अधिभार वाले डम्पों में उपयोग : xi. कृषि : xii. तटीय जिलों में तटरेखा सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण : xiii. अन्य देशों को राख का निर्यात : xiv. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) : रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान वर्तमान में अप्रयुक्त राख की कुल मात्रा (एमटीपीए :	
16.	रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान वर्तमान में उत्पादित राख का प्रतिशतता उपयोग (%) :	
17.	**राख कुंडों में राख के निपटान का ब्यौरा** क) तारीख 31 मार्च तक (रिपोर्टिंग की अवधि को छोड़कर) राख कुण्ड (कुण्डों) में निपटान किए गए राख की कुल मात्रा (मीट्रिक टन):	

	ख) रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान राख कुण्ड (कुण्डों) में निपटान किए गए राख की मात्रा (मीट्रिक टन): ग) रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान राख कुण्डों में गारा निस्सरण हेतु खपत हुए जल की कुल मात्रा (मी^{3}): घ) राख कुण्डों की कुल संख्या: (i) सक्रिय: (ii) खाली किए गए (पुन: भरा जाना है) (iii) पुन: भरे गए: ड.) राख कुण्डों के अधीन कुल क्षेत्र (हेक्टेयर):	
18.	**अलग-अलग राख कुण्ड का ब्यौरा** *राख कुण्ड 1,2 आदि (यदि राख कुण्डों की संख्या एक से अधिक हो, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरा अलग से उपलब्ध कराएं)* क) स्थिति: निर्माणाधीन या सक्रिय या खाली किया गया या पुन: भरा गया ख) राख कुण्ड में राख का निपटान शुरू करने की तारीख/महीना/वर्ष या महीना/वर्ष): ग) राख कुण्ड की क्षमता पूर्ण किए जाने के पश्चात् उसमें राख निपटान रोकने की तारीख (तारीख/महीना/वर्ष या महीना/वर्ष): (सक्रिय राख कुण्डों के लिए लागू नहीं) ग) क्षेत्र (हेक्टेयर): घ) डाइक की ऊंचाई (मी.): घ) आयतन (मी^{3}): ड.) तारीख 31 मार्च तक निपटान किए गए राख की मात्रा (मीट्रिक टन): च) उपलब्ध आयतन का प्रतिशत (%) और आगे निपटान किए जा सकने वाले राख की मात्रा (मीट्रिक टन): छ) राख कुण्ड के भरे जाने की अनुमानित अवधि (वर्षों और महीनों की संख्या): ड.) निर्देशांक (अक्षांश और देशान्तर): (कृपया न्यूनतम 4 निर्देशांकों को विनिर्दिष्ट करें) ज) राख कुण्ड में की गई लाइनिंग का प्रकार: एचडीपीई लाइनिंग या एलडीपीई लाइनिंग या क्ले लाइनिंग या कोई लाइनिंग नहीं छ) निपटान की विधि: शुष्क निपटान या नम गारा (नम गारा के मामले में कृपया विनिर्टिष्ट करें कि क्या एचसीएसडी या एमसीएसडी या एलसीएसडी है) ज) राख का अनुपात: गारा मिश्रण में जल (1:____): झ) संस्थापित और कार्यशील राख जल पुनर्चक्रण प्रणाली (एडब्ल्यूआरएस): हां या नहीं ञ) जमीन के अंदर या जल निकाय में राख कुण्ड से निस्सरित अपशिष्ट जल की मात्रा (मी^{3}): ट) डाइक की स्थिरता का अध्ययन कराए जाने की पिछली तारीख और उस संगठन का नाम जिसने अध्ययन किया: ठ) लेखा-परीक्षा किए जाने की पिछली तारीख और उस संगठन का नाम जिसने लेखा-परीक्षा की:	
19.	उपयोग किए गए पुराने राख की मात्रा (एमटीपीए): i. फ्लाई-एश आधारित उत्पाद (ईंट या ब्लॉक या टाइल्स या फाइबर	

	सीमेंट शीट या पाइप या बोर्ड या पैनल): ii. सीमेंट विनिर्माण: iii. रेडी मिक्स कंक्रीट: iv. राख और जीओ-पॉलिमर आधारित निर्माण सामग्री: v. सिंटर्ड या कोल्ड बॉन्डेड राख एग्रीगेट का निर्माण: vi. सड़कों, सड़क और फ्लाई ओवर के पुश्तों का निर्माण: vii. बांधों का निर्माण: viii. निम्न भू-क्षेत्र का भराव: ix. खनिज क्षेत्रों का भराव: x. अधिभार वाले डम्पों में उपयोग: xi. कृषि: xii. तटीय जिलों में तटरेखा सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण: xiii. अन्य देशों को राख का निर्यात xiv. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें):	
20.	**सार :**	

	ब्यौरा	सृजित मात्रा (एमटीपी)	उपयोग की गई मात्रा (एमटीपी) और (%)	शेष मात्रा (एमटीपी)
	रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान राख			
	पुरानी राख			
	कुल			

21.	कोई अन्य सूचना : वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट, और विद्युत संयंत्रों और राख कुण्डों की शेष फाइलों की सॉफ्ट कॉपी ई-मेल:- moefcc-coalash@gov.in पर भेजी जाए।	
22.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर	

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2021

S.O. 5481(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* S.O.763 (E), dated the 14th September, 1999, as amended from time to time, the Central Government, issued directions for restricting the excavation of top soil for manufacturing of bricks and promoting the utilisation of fly ash in the manufacturing of building materials and in construction activity within a specified radius of three hundred kilometres from the coal or lignite based thermal power plants;

And whereas, to implement the aforesaid notification more effectively based on the polluter pays principle (PPP) thereby ensuring 100 per cent utilisation of fly ash by the coal or lignite based thermal power plants and for the sustainability of the fly ash management system, the Central Government reviewed the existing notification; and whereas environmental compensation needs to be introduced based on the polluter pays principle;

And whereas, there is a need to conserve top soil by promoting manufacture and mandating use of ash based products and building materials in the construction sector;

And whereas, there is a need to conserve top soil and natural resources by promoting utilisation of ash in road laying, road and flyover embankments, shoreline protection measures, low lying areas of approved projects, backfilling of mines, as an alternative for filling of earthen materials;

And whereas, it is necessary to protect the environment and prevent the dumping and disposal of fly ash discharged from coal or lignite based thermal power plants on land;

And whereas, in the said notification the phrase 'ash', has been used which includes both fly ash as well as bottom ash generated from the Coal or Lignite based thermal power plants;

And whereas, the Central Government intends to bring out a comprehensive framework for ash utilisation including system of environmental compensation based on polluter pays principle;

And whereas, a draft notification on ash utilisation by coal or lignite thermal power plants in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Environment and Forests published in the Gazette of India, Extra Ordinary part II, section 3, sub-section (i) *vide* S.O.763 (E), dated the 14th September, 1999, by notification in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* G.S.R. 285(E), dated the 22nd April, 2021 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft provisions were made available to the public;

And, whereas all the objections and suggestions received from all persons likely to be affected thereby in respect of the said draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, and in supersession of the Notification S.O.763 (E), dated the 14th September, 1999 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby issues the following notification on ash utilisation from coal or lignite thermal power plants which shall come into force on the date of the publication of this notification, namely:-

A. Responsibilities of thermal power plants to dispose fly ash and bottom ash.—

(1) Every coal or lignite based thermal power plant (including captive or co-generating stations or both) shall be primarily responsible to ensure 100 per cent utilisation of ash (fly ash, and bottom ash) generated by it in an eco-friendly manner as given in sub-paragraph (2);

(2) The ash generated from coal or lignite based thermal power plants shall be utilised only for the following eco-friendly purposes, namely:-

(i) Fly ash based products viz. bricks, blocks, tiles, fibre cement sheets, pipes, boards, panels;

(ii) Cement manufacturing, ready mix concrete;

(iii) Construction of road and fly over embankment, Ash and Geo-polymer based construction material;

(iv) Construction of dam;

(v) Filling up of low lying area;

(vi) Filling of mine voids;

(vii) Manufacturing of sintered or cold bonded ash aggregate;

(viii) Agriculture in a controlled manner based on soil testing;

(ix) Construction of shoreline protection structures in coastal districts;